

22/4/22 - आज यह पत्रावली पेश हुई। (12)
 एवं वाडी वकील अज्ञात/सिद्ध
 एवं फ्लिवाडी वकील अज्ञात।
 न्यायालय में बार-बार आवान
 लगाने से आवण्ड भी लगने के
 बड़े बड़े वसुलाय एवं पत्रकारानु
 में से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

मुल्काद कदम धरती एवं कदम
 पेशी में खारिज हो चुका है। मुल्काद
 का निराला हो जाने से प्राप्ति
 पत्र 212 RT Act का कोई अर्थ
 नहीं रहता है।

अतः प्राप्ति पत्र 212 RT Act
 की कार्यवाही शेष की जाती है। पत्रावली
 के लिए शुक्र होकर वादिय से
 फरज की जावे। मिलाव मुल्काद है।

(Signature)
 SDO